



# नोएडा में पीक आवर में कई वाहनों की एंट्री होगी बैन शहर के 33 रास्तों पर नहीं चल सकेंगे हल्के माल वाहन, ई-रिक्षा, सवारी मैजिक पर भी लगेगी रोक

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा-ग्रेनो के 33 रास्तों पर अब सुबह-शाम पीक आवर में हल्के माल वाहक वाहन के साथ आदौर ई-रिक्षा, यात्री, वाहन सवारी मैजिक, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, पुलिंग रिक्षा नहीं चल सकेंगे। अभी तक सिर्फ भारी और मध्यम माल वाहक वाहनों के लिए नोएडा थी।

यातायात पुलिस ने नोएडा की योजना में यह संशोधन किया है। यह व्यवस्था लागू कर दी गई। सुबह सात से 11 और शाम को पांच से रात 10 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। डीसीपी यातायात यमना प्रसाद ने बताया कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल कर यह बदलाव किया गया है। यदि इस समय पर कोई भी प्रतिबंध वाहन दिखा तो उसके विलाफ कार्रवाई कर सील कर दिया



नोएडा जाम की फाइल फोटो।

जाएगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं के सभी वाहन यहाँ आ जा सकेंगे।

**इन रास्तों पर लगा प्रतिबंध :**

- नोएडा-ग्रेनो नोएडा एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर 14 पर फलाई ओवर से परीचौक तक दोनों ओर।
- ऊद्योग मार्ग सेक्टर-14ए पर फलाई ओवर से गोलचकर चौक होकर छुप पुरा चौक सेक्टर-11 तक।

उद्योग मार्ग सेक्टर-02,03 तिराहा से हरील चौक, बांस-बली मार्किट, शिवानी फर्मीचर चौक, मेट्रो अस्पताल चौक से सेक्टर-12,56 तिराहा तक।

- ऊद्योग मार्ग-अद्वापीर चौक से राय रेजिंडेसी चौक, यात्रा, लेबर चौक होकर गोलचकर से किसान चौक तक दोनों ओर।
- ऊद्योग मार्ग-आद्वापीर चौक से राय रेजिंडेसी चौक, डीएम चौक, जलवायु विहार चौक, मोदी मॉल मामूल चौक, रितार्यांस चौक से सेक्टर-54

चौकी तिराहा तक।

- ईपी-01 मार्ग डीनंडी से रजनीगांधी चौक से सेक्टर-12,22,56 तिराहा से सेक्टर-57 चौकी चौक, खोड़ा तिराहा, लेबर चौक होकर एनआईबी सेक्टर 62 तक और लेबर चौक से जेएसएस रियासी सेक्टर 49 चौक, जलवायु विहार चौक, मोदी मॉल मामूल चौक, रितार्यांस चौक से सेक्टर-57

चौकी चौक से सेक्टर 54,59 तिराहा, से सेक्टर 60 अंडरपास चौक तक। ईपी-02 मार्ग (एलीवेटेड मार्ग सोही) फ्लामसिटी फ्लाई ओवर तिराहा से नियरी, एनटीपीसी से सेक्टर 128 तक।

- लिंक मार्ग-संदीप पेर मिल चौक से टी-सीरीज चौक, रायरेजिंडेसी चौक, कैमिज स्कूल तिराहा एमपी-2 मार्ग तक।

- लिंक मार्ग-फेस-1 थाना तिराहा से टेलीफोन एक्सर्चर, डीएम चौक, रेस्टेन, सेक्टर 71 चौक, पर्थला गोलचकर से किसान चौक तक दोनों ओर।

- डीएसी मार्ग-ओखला बैराज पुल, महामाया फ्लाई ओवर, सेक्टर 37, शशीक, सिटी सेंटर मेट्रो एस्टेन, सेक्टर 71 चौक, पर्थला गोलचकर से किसान चौक तक दोनों ओर।

- डीएसी मार्ग-न्यू अशोक नगर द्वाली बॉर्डर से नवायाँस, अद्वा, छलेरा, बरौला, सलापुर, भोंगल तिराहा से फ्लूमण्डी फेस-2 हिंदन तक।

- लिंक मार्ग-माडल टाउन गोल चक्र एनएच-24 से सेक्टर-60, 71 से सेक्टर 49 चौक से सिटी सेंटर से सेक्टर 49 चौक, सेक्टर 100 लिंक मार्ग-डीएससी मार्ग तक।

- लिंक मार्ग-डीएससी मार्ग सेक्टर 57

107 से प्रतीक बिल्डिंग तिराहा, लोट्स ब्लू वर्ड तिराहा, सेक्टर 98,100,104 तिराहा, हाजीपुर चौक से सेक्टर 128 तक।

- लिंक मार्ग-संदीप पेर मिल चौक से टी-सीरीज चौक, रायरेजिंडेसी चौक, कैमिज स्कूल तिराहा एमपी-2 मार्ग तक।

- लिंक मार्ग-फेस-1 थाना तिराहा से टेलीफोन एक्सर्चर, डीएम चौक, कैलाश अस्पताल तिराहा एलीवेटेड के नीचे तक।

- लिंक मार्ग-संदीप पेर मिल चौक से ड्रामी बॉर्डर से नवायाँस, अद्वा, छलेरा, बरौला, सलापुर, भोंगल तिराहा से फ्लूमण्डी फेस-2 हिंदन तक।

- लिंक मार्ग-माडल टाउन गोल चक्र एनएच-24 से सेक्टर-60, 71 से सेक्टर 49 चौक से सिटी सेंटर से सेक्टर 49 चौक, सेक्टर 100 लिंक मार्ग-डीएससी मार्ग तक।

- लिंक मार्ग-डीएससी मार्ग सेक्टर 57

## नोएडा में चार साल की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के एक जाने माने निजी स्कूल में चार साल की लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियम 1861 की नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार नियम 1861 के अनुबंध के अनुरूप आदेश के अनुसार अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नियमनंद स्कूल का छुप पुरा पुरा चौक तक तथा सेक्टर-11 तक।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प



















